



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28198

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 791/2026

कमलेश

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मुन्ना तिवारी, संदीप कुमार सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका में मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 - अतिरिक्त आयुक्त, प्रशासन-तृतीय, मंडल गोरखपुर, तहसील-भटपर रानी, जिला देवरिया को मामला संख्या 930/2025, कंप्यूटर मामला संख्या C202505000000930 का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, फिर भी इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार सख्ती से करे और अनावश्यक स्थगन न दे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

9 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।